32

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक / 2015 नि० /3214/II/15

दिनांक 30.9.15 को श्री ... द्वारा प्रस्तुत

30.9.15

50

1. शिवेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र स्व. श्री प्रेम सिंह परिहार आयु 55 साल
2. रायगोविन्द सिंह पुत्र स्व. श्री प्रेम सिंह, आयु 50 साल

दोनो निवासीगण जरहां पो. जरहां तहसील सिंगरौली जिला सिंगरौली म.प्र.

.............आवेदकगण

बनाम

1. शुभम सिंह पुत्र श्री अनिल सिंह परिहार
2. सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री सज्जन सिंह परिहार

दोनो निवासीगण ग्राम जरहां पो. जरहां तहसील सिंगरौली जिला सिंगरौली म.प्र.

3. म.प्र. शासन

.......अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता

न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल खुटार तहसील सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 56 अ–12/14–15 में पारित आदेश दिनांक 18.07.2015 के विरूद्व निगरानी

मान्यवर,

<u>निगरानी के तथ्य</u>

1. यहकि, भूमि खसरा क्रमांक 802/1 /0.010 ,802/2 /0.020 हेक्टर स्थित ग्राम सितुलखुर्द तहसील सिंगरौली जिला सिंगरौली म.प्र. की भूमियां है जिसके भूमि स्वामी आवेदगण दर्ज अभिलेख है। उक्त भूमि का नक्शा में बंटाकंन नही हुआ है। नक्शा मे मात्र

प्रकरण कमांक निग0 3214–दो/15 जिला – सिंगरौली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04–04–17	आवेदक अभिभाषक श्री आर0एस0 सेंगर एवं अनावेदक अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदकगण द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल खुटार तहसील सिंगरौली के प्रकरण कमांक 56/अ–12/14–15 में पारित आदेश दिनांक 18–7–15 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है। 2– उभय पक्ष के अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदकगण द्वारा सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसपर राजस्व निरीक्षक द्वारा सरहदी कास्ताकारों को सूचना जारी करने के उपरांत सीमांकन आदेश पारित किया है। आवेदकगण को सूचना जारी की गई जिसे उनके द्वारा लेने से इंकार किये जाने की टीप अंकित है तथा दो गवाहों के हस्ताक्षर भी अंकित है जिससे प्रकट होता है कि आवेदकगण द्वारा सीमांकन हेतु सूचना लेने से इंकार किया गया। राजस्व निरक्षक ने उपस्थिति सरहदी कास्तकारों की उपस्थिति में सीमांकन किया जहां सरहदी कास्तकारों के स्थल पंचनामा पर हस्ताक्षर अंगूठा निशानी अंकित है। स्पष्ट	

है कि आवेदकगण को उक्त सीमांकन की जानकारी थी। आवेदकगण द्वारा तहसीलदार के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की गई जिसे राजस्व निरीक्षक ने इस आधार पर निरस्त किया कि आवेदक द्वारा भूमि विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण कराया है उसका कोई प्रकरण क्रमांक एवं आदेश दिनांक अंकित नहीं है तथा आवेदक द्वारा बताये अनुसार नक्शा तरमीम होना भी नहीं दर्शाया है। जबकि राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके पर पूर्व से स्वीकृत नक्शा अनुसार सीमांकन की कार्यवाही उपस्थिति सरहदी कास्तकारों की उपस्थिति में किया गया है। अतः राजस्व निरीक्षक द्वारा की गई कार्यवाही को अवैधानिक एवं अनियमित नहीं कहा जा सकता है। आवेदक चाहे तो स्वयं की भूमि का सीमांकन कराने के लिए स्वतंत्र है।

3— उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। राजस्व निरीक्षक मण्डल खुटार जिला सिंगरौली द्वारा पारित आदेश दिनांक 18—7—15 स्थिर रखा जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एस0एस0 अली)
सदस्य